संख्याः 1854 / XV-1/24/1(2)19/23928

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार भट्ट
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पशुपालन अनुभाग–1

देहरादून : दिनांक 25 नवम्बर सितम्बर, 2024

विषयः चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रथम अनुपूरक मांग में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष राज्य सैक्टर के अन्तर्गत चालू योजनाओं (अनु० 30 एवं 31) में धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके ई पत्र संख्याः 28741/2024/नि०–5/एक(68)/आय–व्ययक/2024–25 दिनांक 03 सितम्बर, 2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त योजनान्तर्गत निम्न् तालिका के स्तंभ–3 के अनुसार अनुदान संख्या–30 एवं 31 में निम्नांकित लेखाशीर्षक/योजना/मद में वर्णित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर प्रदिष्ठ करते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(धनराशि हजार रू० में)

लेखाशीर्षक/योजना/मद	बजट प्रावधान	स्वीकृत धनराशि
1	2	3
अनुदान संख्या–30		
106–अन्य पशुधन विकास–02–अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेट प्लान		
0206–अ०सू०जातियों हेतु बकरी पालन योजना		
42–अन्य विभागीय व्यय	10000	9954
0210–भेड़ पालन योजना		
42–अन्य विभागीय व्यये	2000	1953
0211–गौ पालन योजना		
42–अन्य विभागीय व्यय	10000	9972
कुल योग (अनु सं०–30)	**22000**	**21879**
अनुदान संख्या–31		
106–अन्य पशुधन विकास		
02–बकरी पालन योजना		
42–अन्य विभागीय व्यय	2000	1953
03–भेड़ पालन योजना		
42–अन्य विभागीय व्यय	1000	945
04–गौ पालन योजना		

42–अन्य विभागीय व्यय	1500	1476
कुल योग (अनु सं०–31)	4500	4374
महायोग अनुदान संख्या–30 + 31		26253

1. स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि के संबंध में किसी भी प्रकार की अनियमितता, दुरूपयोग, दोहरीकरण एवं वित्तीय नियमों का उल्लंघन पाये जाने पर विभागाध्यक्ष एवं संबंधित आहरण वितरण अधिकारी पूर्णतः उत्तरदायी होंगे।
2. बकरी पालन, भेड़ पालन एवं गौ पालन राज्य सेक्टर योजना के संचालन हेतु लाभार्थी चयन प्रक्रिया तथा अनुदान दिये जाने हेतु शासनादेश संख्या–1717/XV-1/13/1(4)/12 दिनांक 3 दिसम्बर, 2013, शासनादेश संख्या–33/XV-1/14/1(4)/12 दिनांक 22 जनवरी, 2014 तथा संशोधित शासनादेश संख्या–590/XV-1/2022 दिनांक 28 सितम्बर, 2022 द्वारा निर्धारित प्राविधान/दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
3. धनराशि का उपयोग करने के उपरान्त उक्त मदों मे हुये व्यय का विवरण तथा लाभान्वितों की संख्या ग्रामवार/विकासखण्डवार/जनपदवार फोटोग्राफ्स सहित प्रमाणित एवं संकलित सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। लाभार्थी चयन के समय यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के निर्धनतम व्यक्ति येाजना के लाभ से वंचित न रहें।
4. धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा आहरण वितरण अधिकारी धनराशि की फांट कर उसकी प्रति शासन को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें। धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
5. बजट मैनुअल में निर्धारित प्रकिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में प्रतिमाह 5 तारीख तक प्रपत्र बी०एम०–8 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।
6. अवमुक्त की जा रही धनराशि का आवश्यकतानुसार मासिक रूप से आहरण किया जाय एवं अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में आवंटित धनराशि से अधिक किसी दशा में व्यय नहीं की जायेगी और न अधिक व्ययभार सृजित किया जायेगा।
7. बजट नियंत्रक अधिकारी/विभागाध्यक्ष द्वारा बी०एम०–10 प्रारूप में बजट नियंत्रक पंजी में उनके स्तर पर उपलब्ध बजट तथा उनके स्तर से अधीनस्थ अधिकारियों को आवंटित बजट का विवरण रखा जायेगा। इस संबंध में सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/बजट नियंत्रक अधिकारी जिनके नमूना हस्ताक्षर समस्त कोषागार में परिचालित हों, के हस्ताक्षर से अनुदान के अधीन धनराशियां जारी की जाय,अन्यथा कोषागार द्वारा भुगतान नहीं किया जायेगा, जिसके लिए सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी उत्तरदायी होगें।
8. प्रशासनिक/बजट नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा अवमुक्त धनराशि तथा व्यय धनराशि का नियमित लेखा जोखा रखा जाय एवं मासिक आधार पर इसका महालेखाकार, उत्तराखण्ड के स्तर पर मिलान करते हुए मिलान का प्रमाणित विवरण वित्त अनुभाग–1 बजट निदेशालय तथा पशुपालन विभाग,उत्तराखण्ड शासन को भी प्रेषित किया जाय।
9. उपकरण/सामग्री, जो उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 से आच्छादित है, का क्रय एवं आपूर्ति इस नियमावली में निर्धारित प्राविधानों के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा। नियमावली से इत्तर उपकरण/सामग्री का क्रय/आपूर्ति

किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

10. यह आदेश वित्त विभाग द्वारा अध्यारोपित इस शर्त के साथ निर्गत किये जा रहे है कि उक्त योजनान्तर्गत लाभार्थी चयन हेतु एक पोर्टल तैयार किया जाएगा, जिसमें लक्ष्य/उपलब्धियों एवं लाभार्थियों के सत्यापन हेतु व्यक्तिगत रूप में उनके नाम/पता/फोटोग्राफस इत्यादि संबंधी समस्त सूचनाएं/रिकार्ड अपलोड रखे जाएंगे तथा आगामी वित्तीय स्वीकृति के प्रस्ताव के साथ इन अभिलेखों/सूचनाओं सहित उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा।

2. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुदान संख्या–30 एवं अनुदान संख्या–31 के अन्तर्गत उक्तानुसार उल्लिखित लेखाशीर्षक के सुसंगत मानक मदों के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–201358/09(150)–2019/XXVII(1)/2024 दिनांक 22 मार्च, 2024 में दिये गये दिशा–निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by
Rajendra Kumar Bhatt
Date: 25-11-2024 13:1(राजेन्द्र कुमार भट्ट)
संयुक्त सचिव

संख्या– 1854 /XV-1/24/1(2)19/23928 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
5. समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह परमार)
उप सचिव